



डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University

पत्रांक: 119-24 / एन.एल.यू.लखनऊ / प्रशा० / सी-41 / 2015 (2596)
दिनांक: 2/2/2024

नोटिस

सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन दिनांक 31.01.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति द्वारा RIWAAYAT-6.0 का अयोजन किया जाना है। इस हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार Stage lightning हेतु सीलबन्द कोटेशन आमंत्रित की जाती है:-

S. No.	Particulars	Duration
1	Stage Lightning: Top RDF line array with 04 base bean, 02 side frill, 08 sharpy, 20 led par light, 04 been par, 01 follow spotlight, 01 smoke machine	4 days

उपरोक्तानुसार Stage Sound हेतु दरों (सभी करों के साथ) की कोटेशन सीलबन्द लिफाफों में विश्वविद्यालय के कक्ष संख्या-120 में दिनांक 06.02.2024 सायं 5.00 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।


(संजय कुमार दिवाकर)
संयुक्त कुलसचिव

नियम व शर्तें:-

- कोटेशन में इस कोटेशन नोटिस का संदर्भ (पत्रांक एवं दिनांक) अवश्य अंकित कर दिया जाये।
- कोटेशन पर दिनांक, हस्ताक्षर एवं हस्ताक्षरकर्ता का स्पष्ट नाम अवश्य अंकित होना चाहिये।
- सामग्री की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व फर्म का होगा।
- सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय में किये जाने हेतु कोई भी भाड़ा देय नहीं होगा।
- सामग्री की आपूर्ति होने के उपरान्त ही बीजक का भुगतान किया जाना सम्भव होगा।
- नियमानुसार करों आदि की कटौती विश्वविद्यालय द्वारा बीजक से कर ली जायेगी।
- कार्य को कार्यादेश की तिथि से 07 दिवस के अन्दर सम्पन्न किया जाना होगा।
- कोटेशन में उल्लिखित दरें कोटेशन की खुलने की तारीख से कम से कम तीन माह हेतु मान्य होनी चाहिये।
- किसी भी कोटेशन को निरस्त किये जाने का अधिकार विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।

प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- मा० कुलपति महोदय, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- वित्त अधिकारी, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- संयुक्त कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- सहायक कुलसचिव, डा० राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लखनऊ।
- विश्वविद्यालय के मुख्य द्वारा के नोटिस बोर्ड पर।
- विश्वविद्यालय वेबसाइट पर।


(संजय कुमार दिवाकर)
संयुक्त कुलसचिव